



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

III. निगरानी बिम्ब [भूरो] 2017/3572

प्रकरण क्रमांक

R0190- निगरानी

माननीय न्यायाधीश
जि. के. शर्मा, जज
2017/3572 के प्रकरण में
श्री राम स्वयंभू पटेल

श्री. राम स्वयंभू पटेल द्वारा आज दि. 28.9.17 को प्रस्तुत

विनोद शुभ कुमारी पुत्री, ओमप्रकाश,
निवासिन- म 22-ई 08 फ 0, विन्ध्य नगर, लखर,
जिला ग्वालियर (म०प्र०) ।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिराध्व
राम स्वयंभू पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम जारी,
तल्लील व जिला मिण्ड-मध्य प्रदेश ।

28/9/17
24/9/16

----- प्रतिधिया
----- प्रतिप्रार्थी

C.F-4-10-17

निगरानी बिम्ब के अन्तर्गत अपर कलेक्टर महोदय, मिण्ड दिनांक 11-10-17 अन्तर्गत धारा 40 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1956। प्र०क्र० 35/195-16-निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आशाएँ कानूनन सही नहीं हैं ।
- 2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।
- 3- यह कि, कलेक्टर महोदय के समक्ष उभय पक्षों द्वारा राजस्व अभिलेखों में किये गये अंकन के सम्बन्ध में निगरानी स्वीकार किये जाने में सहमति की गई है, यह मानते हुये भी कलेक्टर महोदय ने निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया है, जो न्यायोचित नहीं है ।
- 4- यह कि, जब प्रकरण के मुख्य विवादित विन्दु का अंतिम रूप से सहमति के आधार पर निराकरण हो सकता है, जब प्रकरण को त्रुटिपूर्ण तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है ।
- 5- यह कि, उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत राजीनामों के आधार पर प्रकरण का

M

1

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>5/3/18</p>	<p>अविद्युत अभिभाषक श्री एल.के. जयलक्ष्मी एवं अविद्युत अभिभाषक श्री योगेश सिंह शर्मा द्वारा उपस्थित होकर एक दिनांक ३१/०३/१८ के मध्यमाह में उपस्थितों के मध्यमाह राजनीतमा हो गया है।</p> <p>अतः उपस्थितों के मध्यमाह राजनीतमा होने के प्रमाण के माध्यम किया जाता है। प्रमाण दायित्व रिकार्ड है।</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>